

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा					9511151254						
 @swatantraprabhatmedia		 @swatantramedia		 9511151254		 epaper.swatantraprabhat.com		 @SwatantraPrabhatonline		 news@swatantraprabhat.com	
सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापुर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून				सीतापुर, शनिवार, 19 अप्रैल 2025				गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश , असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित			
अग्नि शमन प्रभारी ने अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को आग बुझाने की दी जानकारी ...03				वर्ष 14, अंक 10, पृष्ठ 04,मूल्य: 01 रुपया				समस्तीपुर में जमीन विवाद में फायरिंग और पत्थरबाजी, पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया...04			
				www.swatantraprabhat.com							



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करे 9511151254

सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा बोर्ड के कार्यों पर जताई नाराजगी, कहा- केवल कागजों तक सीमित

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते सड़क हादसों में घायलों को समय से इलाज और मुआवजा मिलने की घटती संख्या पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागजों तक सीमित रह गया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। सरकार की उदासीनता को लेकर दूसरा मुद्दा यह भी है कि बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी ! यह अब तक स्पष्ट नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था। नियुक्तियों को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था। लेकिन अब तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला।

हिट एंड रन दुर्घटनाओं पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारों के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने उठाया है। देश में विभिन्न कारणों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता नहीं मिलती। ऐसे मामले भी हैं, जहां पीड़ित घायल नहीं होते लेकिन वाहन में फंस जाते हैं। याचिकाकर्ता की मांग है कि ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जो दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करें। सरकार के वकील ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका में एक मांग यह है कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी तय करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाए। यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि कई मामलों में यह पता लगाना संभव नहीं होता कि वास्तव में क्या हुआ था।

सरकार के वकील ने दलील दी कि उत्तर

प्रदेश में एक विसंगति है कि मोटर वाहन अधिनियम के मामलों को 10 वर्षों के बाद समाप्त कर दिया जाता है। इससे यह स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना भरता है, तो उसका पैसा चला जाता है, लेकिन अगर वह मामला लंबित रहने देता है तो अंततः मामला समाप्त हो जाता है। यह एक अत्यंत विचित्र स्थिति है। ऐसे मामले जमा होते रहते हैं और फिर कहा जाता है कि बहुत अधिक मामले हैं, जुर्माना केवल 500 या 1000 रुपये है, इसलिए मामले बंद कर दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम उत्तर प्रदेश को इस अंतरिम आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हैं। प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम का प्रभाव यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है और वह जुर्माना नहीं भरता, तो उसका मामला स्वतः समाप्त हो जाता है। इससे एक ऐसी विसंगति उत्पन्न होती है जिसमें अपराधी बिना सजा के छूट जाते हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इसके लिए छह अलग-अलग प्रकार के प्रोटोकॉल होने चाहिए। हालांकि, इस कोर्ट के लिए रिट ऑफ मंडेमस जारी करना कठिन होगा, फिर भी हमारा मानना ​​​​है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल तैयार करने पर कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि वे त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करें, ताकि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया है, ताकि वे एक प्रोटोकॉल बना सकें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकें।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोर्ट



सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया है, ताकि वे एक प्रोटोकॉल बना सकें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि उसने इस पहलू पर कार्य किया है और एक नोट दाखिल किया है, जो हाइवे उपयोगकर्ता सुरक्षा पर आधारित है। इसके बाद कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा पर आधारित यह नोट सभी राज्यों के परिवहन सचिवों को भेजें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 6 महीनों के भीतर एक शपथ-पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें उस प्रोटोकॉल के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी हो जो उन्होंने तैयार किया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर कार्य करें।

को बताया कि उसने इस पहलू पर कार्य किया है और एक नोट दाखिल किया है, जो हाइवे उपयोगकर्ता सुरक्षा पर आधारित है। इसके बाद कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा पर आधारित यह नोट सभी राज्यों के परिवहन सचिवों को भेजें।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 6 महीनों के भीतर एक शपथ-पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें उस प्रोटोकॉल के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी हो जो उन्होंने तैयार किया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर कार्य करें।

लोक निर्माण विभाग- सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता और कोई समय सीमा नहीं

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।

मथुरा- छाता और मांट तहसील के अंतर्गत सड़क का निर्माण खराब गुणवत्ता और समय सीमा के साथ नहीं हो रहा है सड़क सड़क होने की वजह से आए दिन आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है जिससे लोगों की जान जा रही है लोगों ने क्षेत्रीय सड़कों को लेकर शिकायतें भी किए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार की साख पर बड़ा लगाने की ठान ली है जिससे सरकार की खर्चा नहीं होगा और कार्रवाई नहीं होगी

पीडब्ल्यूडी ने खराब सड़क बनाई तो क्षेत्रीय विधायक ने सांसद के सामने उठाया मुद्दा

मथुरा- जिले में भ्रमण के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने सभी विधायकों के साथ-साथ अधिकारियों की मीटिंग ली मीटिंग के दौरान मांट विधानसभा के विधायक राजेश चौधरी ने

खैरटिया में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीणों ने मंत्री से लगाई गुहार

स्वतंत्र प्रभात

सोनभद्र, ओबरा। ओबरा ब्लॉक के खैरटिया क्षेत्र में व्याप्त भारी पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना «हर घर नल योजना» को खैरटिया में लागू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में, खैरटिया के ग्रामीणों ने ओबरा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री माननीय संजीव कुमार गोंड को एक ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष शिवदत्त दुबे, अमरजीत कुमार, बहादुर खरवार, धर्मजोत जयसवाल, दुर्गा सिंह गोंड, राजेश जायसवाल समेत कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने मंत्री जी को खैरटिया में पेयजल की गंभीर समस्या को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि खैरटिया एक तराई और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां बोरिंग करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में, «हर घर नल योजना» ही खैरटिया के निवासियों की पानी की समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खैरटिया एक अर्ध-शहरी क्षेत्र है, जिसकी आबादी लगभग 20,000 है और यहां पेयजल की तत्काल आवश्यकता है।ग्रामीणों



की समस्या को गंभीरता से लेते हुए, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ओबरा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल के लेटर पैड पर जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए आदेशित किया। मंत्री जी ने जोर दिया कि खैरटिया में पानी की किल्लत एक गंभीर समस्या है और इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए।खैरटिया के ग्रामीणों को उम्मीद है कि मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन इस मामले में तेजी से कार्रवाई करेगा और «हर घर नल योजना» को जल्द ही उनके क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिससे उन्हें पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिलाधिकारी महोदय इस कि खैरटिया एक अर्ध-शहरी क्षेत्र है, जिसकी आबादी लगभग 20,000 है और यहां खैरटिया के ग्रामीणों को कब तक राहत मिलती है।



भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते रोड को पूरा नहीं कर पाया। अकबरपुर में नाली ना बनी होने के कारण जल भराव बना रहता है सड़क निर्माण के दौरान 100 मीटर ,200 मी, कहीं-कहीं 400 मी टुकड़े छोड़ दिए गए हैं नौगांव ग्राम पंचायत निवासी सुभाष ने बताया सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता का प्रयोग हुआ है और छोड़े गए टुकड़ों पर निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण विगत 4 महीने में सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई है। लेकिन अभी तक सड़क निर्माण अच्छी गुणवत्ता के साथ

ठगी

नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी, विरोध करने पर घर में घुसकर हमला

डीएम और एडीएम से 'सेटिंग' का दावा, फिर ढाई लाख की वसूली

स्वतंत्र प्रभात

जौनपुर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी कर्मचारी पर नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी और विरोध करने पर पीड़ित के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित मोहम्मद जावेद अख्तर ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी को सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

डीएम और एडीएम से "सेटिंग" का दावा, फिर ढाई लाख की वसूली

पीड़ित के अनुसार, तहसील सदर स्थित इलेक्शन ऑफिस के वरिष्ठ लिपिक जगदीश कुमार पटेल ने खुद को उच्च अधिकारियों का क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिससे उन्हें पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिलाधिकारी महोदय इस कि जिलाधिकारी एक लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर २2,50,000 वसूल लिए। इस दौरान कुछ भुगतान ऑनलाइन किया गया,

फर्जी लेटर, ब्लाट्सएप पर झूठे वादे और सचिवालय का झुआ

जब नौकरी को लेकर पीड़ित ने बार-बार पृच्छाछ की तो आरोपी ने इलेक्शन ऑफिस का फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया और कहा कि जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। पीड़ित को मित्र की बेटी को ऑफिस बुलाया गया, लेकिन जब जॉइनिंग लेटर मांगा गया, तो वह देने में विफल रहा।

इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित को लखनऊ सचिवालय तक भेजा और एक कथित अधिकारी «दानिश खान» से मिलने को कहा।

जिला पंचायत अध्यक्ष पति का डिट्टी सीएम,पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्री को अमर्यादित बयान का वीडियो वायरल



स्वतंत्र प्रभात

कौशाम्बी। जनपद के भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति

जितेन्द्र सोनकर का एक अमर्यादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति जितेन्द्र सोनकर एक बन्द कमरे में कुछ लोगों से यह कहते दिख रहे हैं कि लखनऊ में आयोजित अमित शाह की रैली में कौशाम्बी से हम व सांसद विनोद सोनकर ने अपने खर्चें से 50 बसें भेजी थी। जिसमें डिट्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने न न तो किराया दिया और न ही भाड़ा दिया न चाय,पानी पूछा और न ही

लंचबॉक्स पैकेट के लिए भी नहीं पूछा। वायरल वीडियो में जितेन्द्र सोनकर ने कौशाम्बी से भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष रही अनीता त्रिपाठी व भाजपा के जिला महामंत्री संजय जायसवाल पर पार्टी का रुपया हजम कर जाने का भी आरोप लगाया गया है। जनपद में जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ जिले के भाजपा पार्टी खेमे में हड़कूम मच गया है। वायरल वीडियो देखने के बाद विपक्षी पार्टियों के लोग आपस में चर्चा करते सुनाई दिये कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पति अपनी ही पार्टी का बंटोधार कराने में लगे हुए हैं।हालांकि स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पीड़ित का आरोप- यह सिर्फ भरे साथ नहीं हुआ होगा

शिकायती पत्र में पीड़ित ने लिखा है कि आरोपी द्वारा किए गए झूठे वादे, फर्जी दस्तावेज और लगातार रहे रही धमकियों से प्रतीत होता है कि यह एक सोची-समझी ठगी और साजिश है। संभव है कि इस तरह की घोखाधड़ी और भी कई लोगों के साथ हुई हो, जो डर या शर्म के कारण सामने नहीं आ पाए।

कानूनी कार्रवाई की मांग- पीड़ित ने पूरे प्रकरण की जानकारी के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट्स और अन्य साक्ष्यों को जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपते हुए आरोपी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना को लेकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर उठे सवाल, मुस्लिम लीग नाराज, बताया 'काला धब्बा'



संसद में हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने राजनीतिक हलकों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति ने इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग (टुल्क) सहित कई विपक्षी दलों को नाराज कर दिया। पार्टी ने इस बारे में तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रियंका गांधी को आलोचना की। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए गए हैं।

प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति पर नाराजगी

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सत्र में हिस्सा न लेना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। समस्त केरल जेम-इय्थुल उलमा के मुखपत्र 'सुप्रभातम' में प्रकाशित एक संपादकीय में प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति को "काला धब्बा" बताया गया। संपादकीय में सवाल उठाया गया कि जब बीजेपी इस विधेयक को आगे बढ़ा रही थी, तब प्रियंका गांधी कहा

थीं? साथ ही, यह भी कहा गया कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए
प्रियंका गांधी के अलावा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए गए। संपादकीय में कहा गया कि राहुल गांधी ने वक्फ विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की, जबकि वे यह दावा करते हैं कि यह विधेयक देश की एकता को प्रभावित करता है। संपादकीय में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ तीखा रुख अपनाया गया, लेकिन साथ ही इंडिया गठबंधन के तहत संसद में बिल के खिलाफ उनके सामूहिक रुख की सराहना भी की गई।

कांग्रेस सांसद ने विधेयक को बताया असंवैधानिक

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने वक्फ विधेयक को असंवैधानिक और अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि "यह विधेयक संविधान के खिलाफ है और इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि



विपक्ष ने एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन सरकार इसे पारित करने पर अडिग रही। उन्होंने इसे लक्षित कानून भी करार दिया, जिसका उद्देश्य विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाना है।

विपक्षी दलों का विरोध

इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और गलत तरीके से लागू करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे लक्षित कानून बताया है, जो केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है। वक्फ विधेयक 2024 ने भारतीय राजनीति में हलचल मचाई है, जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की है। हालांकि, सरकार इसे पारित करने पर अडिग रही और इसको एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अब यह देkhना होगा कि यह विधेयक समाज में किस तरह के प्रभाव डालता है और क्या विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद इसका प्रभावी कार्यान्वयन हो पाता है।

वक्फ विधेयक 2025 का उद्देश्य

वक्फ विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन कर भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ाने, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का

तेजस्वी-राहुल मुलाकात में भी नहीं बनी बात- महागठबंधन में पेंच अभी फंसा हुआ है!

बिहार की राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव के ताकतवर होने के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक दलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे लालू यादव ने वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा कर सबको चौंका दिया था। उस समय आडवाणी को जिस अधिकारी (आरके सिंह) ने गिरफ्तार किया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था।

बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव के ताकतवर होने के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक दलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे लालू यादव ने वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा कर सबको चौंका दिया था। उस समय आडवाणी को जिस अधिकारी (आरके सिंह) ने गिरफ्तार किया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था।

बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी

और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मान हासिल करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी के मिशन बिहार से काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है।

बिहार के लगातार दौर पर जाकर राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास किया। अपने करीबी नेता कृष्णा अल्लावरु को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कहैया कुमार को 'पलायन रोको, नैकीरि दो' यात्रा का चेहरा बनकर बिहार की सड़कों पर उतरने का मौका दिया। आने वाले दिनों में लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद पणू यादव को भी बड़ी भूमिका देने की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं।

कांग्रेस के आक्रमक तवरों को देखते हुए लालू यादव काफी हद तक असहज हो गए। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव (जिन्हें वे पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं) को पटना में 17 अप्रैल को होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले ही राहुल गांधी के साथ सब कुछ तय करने के लिए आनन-फानन में दिल्ली भेजा। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर राहुल गांधी के साथ बैठक की। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की अहमियत बताने के लिए इसको एक बड़ी बैठक बना दिया। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और गुरदीप सिंह सप्यल भी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव अपने साथ पार्टी के राज्यसभा



सांसद मनोज झा और संजय यादव को लेकर गए थे।

लेकिन तेजस्वी यादव की यह दिल्ली यात्रा उनके लिए उतनी लाभदायक नहीं रही, जितनी वह उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस ने आरजेडी के ऑफर (यानी 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने) को सिरे से नकार दिया और पिछली बार की तरह 70 सीटों की मांग रख दी। इतना ही नहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछली बार की तरह कांग्रेस कमजोर और हारने वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। सीट को लेकर विस्तार से चर्चा पटना की बैठक में होगी। वहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी कांग्रेस ने फिलहाल अपने पते खोलने से साफ इनकार कर दिया है।

दिल्ली की बैठक बेतनीता रही, यह बैठक के बाद आए बयानों से भी साफ पता चलता है। बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली आए तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के लिए। यह हम लोगों की चीजें हैं। हम लोगों की बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पत्रकारों ने यही सवाल बैठक से बाहर आए कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा। कृष्णा अल्लावरु ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि , अगर पहली मुलाकात में ही सब कुछ तय हो गया होता तो वे इसकी जानकारी जरूर देते। मतलब साफ है कि गठबंधन में अभी काफी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस इस बार झुकने को

संपादकीय

संपादकीय

शपथ पत्रों में झूठ का दस्तावेजीकरण- कानून की आत्मा पर आघात

भारतीय न्याय व्यवस्था, जो विश्व की सबसे विशाल और जटिल विधिक संरचनाओं में से एक है, केवल विधानों की व्याख्या का मंच नहीं है, बल्कि यह भारतीय गणराज्य की आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय की नींव सत्य पर टिकी होनी चाहिए, और इस सत्य को स्थापित करने के लिए जो विधिक औजार न्यायालय में प्रयुक्त होते हैं, उनमें सबसे मौलिक और गंभीर औजार है शपथ पत्र। शपथ पत्र, मात्र एक लिखित कथन नहीं है। यह एक कानूनी प्रतिज्ञा है एक वचन जिसे कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यह विश्वास दिलाने के लिए प्रस्तुत करता है कि उसमें उल्लिखित तथ्य संपूर्ण रूप से सत्य, निष्पक्ष और प्रामाणिक हैं। यह प्रतिज्ञा न केवल विधिक दायित्व है, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष शपथ लेकर कोई तथ्य प्रस्तुत करता है, तो वह स्वयं को उस सत्य के साथ जोड़ता है, जिसे समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन माना है।

इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और गलत तरीके से लागू करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे लक्षित कानून बताया है, जो केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है। वक्फ विधेयक 2024 ने भारतीय राजनीति में हलचल मचाई है, जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की है। हालांकि, सरकार इसे पारित करने पर अडिग रही और इसको एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अब यह देkhना होगा कि यह विधेयक समाज में किस तरह के प्रभाव डालता है और क्या विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद इसका प्रभावी कार्यान्वयन हो पाता है।



ऐसे व्यक्ति को सात वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। धारा 199 झूठे शपथ पत्र के लिए अलग से दंड निर्धारित करती है। परंतु व्यवहार में इन धाराओं का उपयोग बहुत सीमित होता है। निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, बहुत कम ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ शपथ पत्र में झूठे विवरण प्रस्तुत करने पर स्वतः संज्ञान लिया गया हो या कड़ी कार्रवाई की गई हो। इससे यह संकेत जाता है कि इस अपराध को अब भी एक गंभीर अतिक्रमण की बजाय एक प्रक्रियात्मक खामी के रूप में देखा जाता है जो न्याय के सिद्धांतों के साथ अन्याय है। इस स्थिति में सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि न्यायालय शपथ पत्रों को केवल औपचारिक दस्तावेज की तरह न देखकर, उसे न्यायिक विवेक का बुनियादी आधार मानें। न्यायालयों को चाहिए कि वे प्रत्येक शपथ पत्र की प्रामाणिकता पर, विशेषकर जब विरोधी पक्ष संदेह जाताए, संजीदगी से विचार करें और आवश्यक हो तो स्वतंत्र जांच के आदेश दें। साथ ही, यदि किसी शपथ पत्र में झूठ या सामान्य होती जा रही प्रवृत्ति है, जिससे मुकदमों की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी होती है, न्यायालयों पर कार्यभार बढ़ता है और सत्य की खोज में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इससे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं। जब आम नागरिक देखता है कि झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो वह धीरे-धीरे न्यायालयों में अपने विश्वास को खोने लगता है। वास्तव में, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस प्रकार के कृत्य के लिए सजा दंड का प्रावधान है। धारा 191 के अंतर्गत झूठ साक्ष्य देना अपराध है, और धारा 193 के अनुसार

बढ़ता ही जा रहा है सत्ता प्रतिष्ठान का दुस्साहस

ये अच्छी खबर है या बुरी ये कहना कठिन है ,लेकिन एक बात साफ है कि बैशाखियों पर चलने वाले देश के सत्ता प्रतिष्ठान का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सत्ता प्रतिष्ठान का मकसद येन-केन-लेकर-किसी भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी भी श्रीमती सोनिया गांधी को जेल भेजना है। माँ-बेटे को जेल जाने से अब भगवान भी शायद ही बचा पाए ,क्योंकि अब अदालत अपने चरम पर है।

नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब गेंद अदालत के गले में है। अदालत किसी पर मेहरबान होती है और किसी पर नहीं। हालाँकि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की दोबारा गिरफ्तारी आसान नहीं है क्योंकि दोनों पहले से जमानत पर हैं और अब जब तक कि अदालत कोई फैसला नहीं सुना देती तब तक सत्ता प्रतिष्ठान ने इस मामले में जो कोई कैलेंडर तय कर रहा हो कि कब फैसला आए और कि कब दोनों को जेल यात्रा पर भेजा जाये ?

पूरे देश को पता है कि इंडी यानि प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों सत्ता प्रतिष्ठान के जम्पूरे की तरह काम कर रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालयने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ चार्जशीट में इंडी ने आरोपियों पर 988 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा के पति और व्यापारी रावट वाड़ा को खिलाफ गुरुराम लैंड डील केस में बुधवार को दूसरी बार पृछाछा हो रही है। पिछले दो दिनों में ये कांग्रेस के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। सत्ता प्रतिष्ठान की इस कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किये हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई असर सरकार या अदालत पर पड़ने वाला है ,क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान और प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही माननीय अदालत का रुख साफ है।

मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान ने गांधी परिवार को नेस्तनाबूद करने के लिए पिछले एक दशक में अपने सभी धोड़े खोल लिए हैं किन्तु उसे अभी गयी कृति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया। राहुल से उनका सरकारी बँगला खाली करा लिया गया। राहुल न डरे और न झुके। उन्ते पिछले आम चुनाव में नयी ऊर्जा के साथ अपनी बहन प्रियंका के साथ लोकसभा में वापस लौटे। राहुल ने पिछले दिनों हरियाणा



और महाराष्ट्र के चुनाव भी हारे किन्तु हिम्मत नहीं हारी और वे कांग्रेस का अधिवेशन करने सत्ताप्रतिष्ठान के नाभि केंद्र गुजरात में जा पहुंचे। सत्ता प्रतिष्ठान को ये सब नामवार गुजर रहा है। परिणाम स्वरूप सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से गांधी परिवार पर आक्रमण और तेज हो गया है।

आने वाले दिनों में कौन जेल जाए और कौन न जाये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहींहै। हमारी चिंता तो सियासत में बढ़ती अदवात को लेकर है। जिनके प्राबल्य में जेल यात्रा होती है , वे जेल जाते ही हैं और गांधी परिवार को सनातन जेल यात्री है लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े नेताओं को जेल यात्रा का कोई खास अनुभव नहीं है। वे आपातकाल को छोड़ कभी जेल नहीं गए। जो दुर्भाग्य से जेल गए वे भी माफियां मांगकर जेल से बाहर आ गये। किसी सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जेल में रहकर अपनी जवानी बर्बाद नहीं की । किसी ने जेल में रहकर न स्वाध्याय किया और न कोई किताब लिखी। बहरहाल मामला राहुल,सोनिया, और रावट वाड़ा का है। इनकी कुदली में जेल यात्रा का योग होगा तो कोई गुरुराम लैंड डील केस में बुधवार को दूसरी बार पृछाछा हो रही है। पिछले दो दिनों में ये कांग्रेस के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। सत्ता प्रतिष्ठान की इस कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किये हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई असर सरकार या अदालत पर पड़ने वाला है ,क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान और प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही माननीय अदालत का रुख साफ है।

देश की राजनीति में वर्ष 2014 के बाद जो तब्दीली आयी है उसमें सबसे प्रमुख बात ये हैकि अपने विरोधियों को किसी न किसी तरह या तो झुका लिया जाये और कोई न झुके तो उसे तोड़ दिया जाये। सत्ता प्रतिष्ठान के आगे प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही माननीय अदालत का रुख साफ है। मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान ने गांधी परिवार को नेस्तनाबूद करने के लिए पिछले एक दशक में अपने सभी धोड़े खोल लिए हैं किन्तु उसे अभी गयी कृति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया। राहुल से उनका सरकारी बँगला खाली करा लिया गया। राहुल न डरे और न झुके। उन्ते पिछले आम चुनाव में नयी ऊर्जा के साथ अपनी बहन प्रियंका के साथ लोकसभा में वापस लौटे। राहुल ने पिछले दिनों हरियाणा

जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके। इसके अतिरिक्त, विधायिका को चाहिए कि वह शपथ पत्रों की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी उपायों को प्रोत्साहित करे। डिजिटल शपथ प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, और सत्यापन के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र जैसे नवाचार न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकते हैं। इससे झूठे शपथ पत्रों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और साथ ही तकनीकी रूप से सशक्त न्याय व्यवस्था की नींव तैयार होगी। शपथ पत्र केवल एक कागज नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। यह उस नागरिक की मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है, जो कानून के समक्ष खड़ा है। अगर यह दृष्टिकोण सत्यनिष्ठ, नैतिक और समाजोपयोगी नहीं है, तो फिर उस दस्तावेज की कोई विधिक या सामाजिक प्रासंगिकता नहीं रह जाती। और जब ऐसे दस्तावेजों की संख्या बढ़ती है, तो संपूर्ण विधिक व्यवस्था केवल प्रक्रिया बनकर रह जाती है न्याय का उद्देश्य गुम हो जाता है।अतः अब समय आ गया है कि हम शपथ पत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करें। इसे केवल दस्तावेज नहीं, न्याय की आत्मा मानें। जो व्यक्ति इसे झूठ से मेलकित करे, उसे समाज, विधि और नैतिकता तीनों स्तर पर उत्तरदायी ठहराया जाए। न्यायालय, अधिवक्ता, विधायिका और नागरिक सभी को इस सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा।न्यायालयों की प्रतिष्ठा, केवल उनके निर्णयों की शक्ति में नहीं होती, बल्कि उस प्रक्रिया की पवित्रता में होती है, जिससे वे निर्णय निकलते हैं। और उस प्रक्रिया की पहली शपथ, वही है कोर्ट में दायर किया गया शपथ पत्र।

हंसराज चौरसिया

शैक्षणिक जड़ता की गिरफ्त में हजारीबाग का गौरव- कब मिलेगा वि्वि को स्थायी कुलपति?

झारखण्ड के हजारीबाग जिले में स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कभी राज्य की उच्च शिक्षा का एक प्रेरणास्पद और प्रतिष्ठित केंद्र हुआ करता था, आज प्रशासनिक अस्थिरता और असमंजस की स्थिति से जूझ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता का प्रतीक रहा यह विश्वविद्यालय पिछले दो वर्षों से अस्थायी कुलपति के नेतृत्व में चल रहा है। शुरुआत में यह व्यवस्था तात्कालिक समाधान के रूप में स्वीकार की गई थी, परन्तु समय के साथ यह एक स्थायी समस्या बन चुकी है। अस्थायी नेतृत्व के पास न तो वह अधिकार होते हैं जो एक स्थायी कुलपति को प्राप्त होते हैं, और न ही वह दीर्घकालिक योजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ होता है। इसके परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक कार्य ठहराव का शिकार हो गए हैं। आज विश्वविद्यालय की निर्णय प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है। नए पाठ्यक्रमों की स्वीकृति रूकी हुई है, शोध परियोजनाएं अधूरी हैं, और शिक्षकों की

नियुक्ति व प्रोन्नति जैसे महत्वपूर्ण कार्य महीनों से लंबित हैं। इससे न केवल अकादमिक वातावरण प्रभावित हुआ है, बल्कि विद्यार्थियों का मनोबल भी गिरा है। वे यह सोचने पर मजबूर हैं कि उनके भविष्य की दिशा किसके हाथ में है। शिक्षकों पर भी इसका गहरा असर पड़ है। जब संस्थान का नेतृत्व अस्थिर होता है, तो उनकी व्यावसायिक प्रगति, सेवा शर्तों की समीक्षा और नवाचार की संभावनाएं सभी प्रभावित होती हैं। इससे उनका उत्साह और समर्पण कमजोर पड़ता है, जो अंततः शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अस्थायी कुलपति के पास विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक विकास के लिए न तो पर्याप्त समय होता है, न ही संसाधन। इससे संस्थान की बौद्धिक उर्वरता, शोध और नवाचार की संभावनाएं बाधित होती हैं। विश्वविद्यालय एक जीवंत शैक्षणिक केंद्र बनने के बजाय केवल एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह जाता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और राजभवन को इस पर तत्काल



ध्यान देने की आवश्यकता है। यह केवल विश्वविद्यालय का संकट नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की साख का सवाल है। अब समय आ गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय को इस अस्थायी जड़ता की मुक्त किया जाए और इसे एक स्थायी, सक्षम व दूरदृष्टि-संपन्न कुलपति प्रदान किया जाए। यह निर्युक्ति केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी पहल होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण, शोध

हंसराज चौरसिया



